सं0-237/XXVIII-4-2005-23/2005

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी
देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-4 देहरादून: दिनांक : 18 अगस्त, 2005

विषय: टी0एस0पी0 के अन्तर्गत राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय भवनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण के पत्र सं0-7प/1/निर्माण/टी0एस0पी0/14/2005/15799 दिनांक 25.07.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2005-06 में टी0एस0पी0 के अन्तर्गत राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय पिनगिरी, राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय कुन्हान तथा राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय बिरमऊ जनपद देहरादून में भवनों के निर्माण कार्य हेतु संलग्नानुसार कुल रू0 1,18,85,000-00 (रू0 एक करोड़ अट्ठारह लाख पिच्चासी हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक / वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष में रू0 40,00,000-00 (रू0 चालीस लाख मात्र) की धनराशि के व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1- एकमुश्त प्राविधानों को कार्य से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी ।

2- कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये । कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा ।

3- धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात निर्माण इकाई अपर परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा ।

4- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

5- आगणन में उल्लिखित दरों का पिरलेपम विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों में जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, को स्वीकृत नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा ।

6-कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य आरम्भ न किया जाय ।

7- कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है । स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

8- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

9- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये ।

11- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय । निर्माण सामग्री का प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए ।

12- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर प्रशासन को उपलब्ध करायी जायेगी । यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गया है ।

13- निर्माण के समय यदि किसी कारण वश यदि परिकल्पनाओं / विशिष्टियों में बदलाव आता है तो इस दशा में शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14- निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय ।

15- उक्त भवनों के कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े ।

16- उक्त व्यय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या -31 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत, 02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें - पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 796- जनजाति उपक्षेत्र योजना 91- जिला योजना, 9103- राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय के भवनों का निर्माण, 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

17- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-626 /वित्त अनुभाग-2/2005 दिनांक 16.09.2005 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,

(अतर सिंह)

उप सचिव

सं0-237(1)/XXVIII-4-2005-23/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।

2- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।

3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

4- जिलाधिकारी, देहरादून।

5- महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण उत्तरांचल ,देहरादून ।

6- अपर परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एंव निर्माण निगम /

7- निजी सचिव मा0 मुख्य मुख्यमंत्री ।

8- वित्त अनुभाग-2/ नियोजन विभाग / एन आई सी ।

9- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)

उप सचिव

शासनादेश सं0-237/XXVIII-4-2005-23/2005 दिनांक [illegible]2005 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजना/निर्माण कार्य का नाम	जनपद का नाम	निर्माण इकाई	लागत	वर्ष 2005- में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	
1	राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय सिनगिरी का भवन निर्माण ।	देहरादून	पेयजल निगम	रू0 40.44	रू0 14.00
2	राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय मुन्धान का भवन निर्माण	देहरादून	पेयजल निगम	रू0 38.22	रू0 13.00
3	राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बिरमउ का भवन निर्माण	देहरादून	पेयजल निगम	रू0 40.19	रू0 13.00
			योग	रू0 118.85	रू0 40.00

(रू0 चालीस लाख मात्र)

(अतर सिंह)
उप सचिव